अधिसूचना दिनांक 9 अक्टूम्बर 2009

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2009

क्रमांक 2098/म.प्र.विनिआ/2009. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(एक्स) सहपठित धारा (50) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 जून, 2005 को जारी अधिसूचना क्रमांक 790 (ई) द्वारा ''विद्युत (कठिनाईयां हटाना) आदेश, 2005'' संबंधी उपबंध जो कि ''विद्युत चोरी को नियंत्रण करने के उपायों को सम्मिलित किये जाने'' से संबंधित है तथा इसके साथ ही विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 में संशोधन द्वारा अधिनियमित ''विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007'' तथा चोरी के प्रकरणों के निर्धारण में कठिनाईयां हटाने के परिपेक्ष्य में भी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा क्रमांक 443 दिनांक 22 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता पन्द्रहवें संशोधन द्वारा अधिसूचित तथा दिनांक 29 फरवरी, 2008 को प्रकाशित ''अध्याय–10 (अ) – विद्युत की चोरी'' में संशोधन करता है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता को आयोग द्वारा मूलतः क्रमांक 861–विनिआ–04, दिनांक 27 मार्च, 2004 द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में सोलहवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

(i) यह संहिता **''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (सोलहवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (xvi), वर्ष 2009)'' कही जाएगी ।**

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय 10 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के ''अध्याय 10 अ–विद्युत की चोरी'' जिसे पन्द्रहवें संशोधन [एजी–(xv), वर्ष 2008] द्वारा अधिसूचित किया गया था, कण्डिका क्रमांक **10 (अ) 2.1, 10 (अ) 2.2 तथा 10 (अ) 2.3.2** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(अ) **"10 (अ) 2.1** : विद्युत की चोरी बाबत् निर्धारण आदेश जारी करना ।"

(ब) **"10 (अ) 2.2** : विद्युत चोरी के किसी प्रकरण के पता लगने पर प्राधिकृत अधिकारी, एतद् पश्चात इस अध्याय में निर्दिष्ट किये गये सूत्रों/प्रक्रिया के अनुसार, या तो वह सम्पूर्ण अवधि जिसके अन्तर्गत ऐसी की गई चोरी होना पाया गया है अथवा निरीक्षण तिथि से ठीक 12 (बारह) माह पूर्व की अवधि हेतु, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार ऊर्जा की खपत का निर्धारण करेगा । प्राधिकृत अधिकारी निर्धारण आदेश लागू टैरिफ दर से दुगुनी दर पर तैयार करेगा तथा इसे उक्त व्यक्ति को तामील कर, उससे उचित पावती प्राप्त करेगा ।

किसी नियमित मीटरीकृत संयोजन के प्रकरण में, जहां विद्युत की चोरी होने का प्रकरण पाया गया हो, विद्युत के शुद्ध अनाधिकृत उपयोग का निर्धारण, विचाराधीन अवधि के अन्तर्गत मीटर द्वारा लेख्यांकित की गई ऊर्जा की मात्रा का यथोचित समायोजन (क्रेडिट) कर दिया जाएगा ।

(स) **"10(अ) 2.3.2** ऐसे प्रकरणों में, जहां कि मीटर से छेड़छाड़ किया जाना पाया गया हो तथा प्रयोगशाला में यथोचित परीक्षण उपरान्त मीटर कार्यप्रणाली का धीमा होना पाया जाए, ऐसे प्रकरणों में खपत की गई यूनिटों की संख्या का निर्धारण, परीक्षण परिणामों के आधार पर, मीटर द्वारा धीमी गति से लेख्यांकित की गई मात्रा के आधार पर इस शर्त के अध्यधीन होगा कि इस प्रकार किया गया निर्धारण कण्डिका 10(अ) 2.3.1 में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार निर्धारित की गई यूनिटों की संख्या से डेढ़ गुना (1.5 गुना) से अधिक न हो ।

ऐसे प्रकरणों में, जहां मीटर से छेड़–छाड़ किया जाना पाया गया है, परन्तु जहां यह संस्थापित नहीं किया जाना संभव न हो पाये, कि मीटर की गति धीमी है अथवा वह ठीक प्रतिशत, जिसके अनुसार वह कम खपत को लेख्यांकित कर रहा है, परन्तु इसके साथ ही मीटर में बाह्य यंत्रों को अन्तर्स्थापित किया जाना अथवा मीटर के पुर्जों/वायंरिग के साथ छेड़–छाड़ किया जाना पाया गया हो तो ऐसी दशा में खपत का आकलन कण्डिका 10(अ)2.3.1 में निर्दिष्ट सूत्र में किये गये आकलित यूनिटों की संख्या की डेढ़ गुना दर पर किया जाएगा ।"

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, आयोग सचिव